

(c) Central Bank of India also has initiated a similar scheme from June 1, 1971 while the Bank of Baroda has announced its intention of initiating a similar scheme shortly.

There is no proposal at present to introduce such a scheme in the Post Office Savings Banks.

**Loans granted under the Hotel Development Loan Scheme**

3125. SHRI N. S. BIST : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased state :

(a) the terms and conditions for the grant of funds from the Hotel Development Loans Scheme;

(b) the names of parties to whom loans have been given from this fund since its inception in April, 1968 along with the amount of loans granted; and

(c) the basis of granting these loans ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. SAROJINI MAHISHI): (a) to (c). Copies of the instructions containing the terms and conditions regulating the grant of loan under the Hotel Development Loan Scheme along with the statement showing the names of the companies and the amounts of the loans approved and disbursed are placed on the Table of the House. [Placed in library. See No. LT—542/71]

मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण के लिये प्राप्त आवेदन-पत्र

3126. श्री हुकम चन्द कच्छवाय : क्या बिल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मुरैना, मिर्जा, ग्वालियर और गुना जिलों में लघु उद्योगों, खेती में कम आवे वाली वस्तुओं और सिंचाई प्रयोजनों के लिए ऋण के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों की अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मिलेवाए कितने व्यक्तियों को लाल कितना-कितना ऋण दिया गया; और

(ग) बैंकों के पास पड़े शेष अनिर्णीत आवेदन पत्रों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

बिल मंत्री (श्री धनञ्जयराव कच्छवाय) :

(क) और (ख). माननीय सदस्य ने जिस प्रकार पूछा है उस रूप में आंकड़े नहीं रखे जाते। फिर भी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में स्वीकृत ऋणों की संख्या और बकाया रकमों की जो स्थिति दिसम्बर, 1970 के अंतिम शुक्रवार को थी वह नीचे दी गई है—

लघु उद्योग

एककों की संख्या 1065 692 03 लाख रु.

कृषि

लेखों की संख्या 17892 429 16 लाख रु

(ग). राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंको ने लघु उद्योगों तथा कृषि जैन अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों के संबंध में उदार नीति अपनायी है। बैंक गुणावगुणों के आधार पर सभी आवेदन-पत्रों पर विचार करते हैं बशर्ते कि योजनाएं संचालन की दृष्टि से सफल हो।

बिदेसों में मध्य प्रदेश के मन्दिरों और ऐतिहासिक स्थानों के बारे में प्रचार

3127. श्री हुकम चन्द कच्छवाय :

श्री धनञ्जय कच्छवाय :

क्या बर्बटन और नागर विभाजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश के मन्दिरों, ऐतिहासिक महत्त्व के स्थानों तथा अन्य सुरक्ष्य स्थानों का बिदेसों में व्यापक प्रचार नहीं किया जाता; और

(ख) देश के उच्च स्थानों के बारे में बिदेसों में अधिक प्रचार करने के लिये क्या कार्यवाही

की मई है अथवा किये जाने का विचार है ?

पर्यटन और मानव विज्ञान संशोधन में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): (क) श्री (ख) मध्य प्रदेश के मन्दिरों तथा पर्यटक आकर्षण के अन्य स्थानों का भारत के लिये अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से विदेशों में व्यापक प्रचार किया जाता है। इस संदर्भ में प्रचार-साहित्य का प्रकाशन विभिन्न भाषाओं में किया जाता है और उसका विदेशों में वितरण किया जाता है।

इण्डियन एयर लाइन्स के विमान चालकों से लस्करी सोना बरामद किया जाना

3128 श्री हुकम चन्द कछवाय  
श्री बनसाह प्रधान

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1971 के दूसरे पखवाड़े में इमडम हवाई अड्डे पर इण्डियन एयर लाइन्स के डाक विभाग के विमान-चालक कक्ष से बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया गया था;

(ख) यदि हा तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, और

(ग) बरामद किये गये सोने का मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (ग). इमडम हवाई अड्डे पर 28-5-71 को दो लावारिस बैलों में से 15 किलो ग्राम सोना पकड़ा गया था जिसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-दर पर लगभग 1.27 लाख रुपये तथा भारतीय-बाजार दर पर लगभग 2.6 लाख रुपये है। ये बैले इण्डियन एयरलाइन्स के एक हवाई जहाज के कर्मियों के अस्बाब के साथ पाये गये थे न कि पायलट की 'केबिन' में। कर्मियों के एक लक्ष्य को निरस्त कर लिया गया था। अन्तर्गत निविस्त्रेट द्वारा 1 लाख रुपये की

जमानत के साथ 25-25 हजार रुपये के चार मुचलकों पर छोड़ दिया गया।

Captures of Mechanised Vessel carrying,  
smuggled Goods

3129. SHRI S. M. KRISHNA :  
SHRI P. GANGADEB

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Customs officials seized a mechanised vessel on board at Sheel about eight miles of Mangrol Sea Coast in Junagarh district on 12th April, 1971;

(b) whether some smuggled goods were also recovered from it; and

(c) if so, the number of persons arrested in this connection ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : (a) to (c). Vessel M. S. V. Puran Vihar Bedi No. 59 which left Bombay on 5th April, 1971 for Dubai was seized by the Customs authorities of Mangrol Coast on 13th April, 1971. There were 91 passengers with 10 crew members on board. As the passengers had no passports for leaving India, they were charge-sheeted by the Police authorities under the Passport Act 1967 and produced before the Magistrate of Keshod Mangrol (Link) Court on 4th May, 1971. All the accused were sentenced to one day's simple imprisonment till rising of the Court. No smuggled goods were recovered.

Amount collected under the Emergency Risks (Factories) Insurance Act., 1962

3130. SHRI S. N. MISHRA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) How much amount had been collected by Government under the Emergency Risks (Factories) Insurance Act, 1962 from the date of its operation up to the date of its cessation State-wise;

(b) how much amount has been paid or given to any of the factories under the said Act up to the end of the financial year 1970-71, an